न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 23/2017 नामान्तरकरण अपील

1 हरसहाय पुत्र गंगासहाय
2 रामकिशोर पुत्र गंगासहाय
3 रामकिशन पुत्र गंगासहाय
4 बाबूलाल पुत्र गंगासहाय
समस्त जाति मालीयान निवासी ग्राम अगावली तहसील सिकराय जिला दौसा

अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सिकराय
2. तहसीलदार सिकराय तहसील सिकराय
3. गोरधन पुत्र बद्री (फौत)
   3/1 छोटी देवी पत्नि गोरधन } समस्त जाति मीना निवासी ग्राम अगावली
   3/2 तिलकेश पुत्र गोरधन } तहसील सिकराय
   3/3 दिलकेश पुत्र गोरधन }
   नाबालिग जरिये संरक्षिका माता छोटी देवी पत्नि गोरधन
4. गिर्राज पुत्र बद्री
5. इन्द्राज पुत्र जगन
6. लोहडियाराम पुत्र जगन

समस्त जाति मीना निवासी ग्राम अगावली तहसील सिकराय जिला दौसा

रेस्पोडेन्ट्स

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 790 दिनांक 08.09.2005
ग्राम अगावली तहसील सिकराय जिला दौसा द्वारा तहसीलदार सिकराय

उपस्थिति :– 1. श्री वरूण नागर अधिवक्ता अपीलान्ट्स उपस्थित।
2. राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।
3 श्री हुकम सिंह अवाना अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं. 3/1 लगा0 3/3 व 4 लगा0 6 अनुपस्थित।

–:निर्णय:– दिनांक: 13.06.2018

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम अगावली तहसील सिकराय जिला दौसा में भूमि खसरा नं. 393 रकबा 37 बीघा 15 बिस्वा हाल ख.न. 564 स्थित है। उक्त भूमि में पूर्व के रिकार्ड में गंगासहाय पुत्र कोर्या का हिस्सा 1/4 था। लेकिन यह हिस्सा सही अंकित नही था। क्योंकि यह हिस्सा 1/2 होना चाहिए था। क्योंकि गंगासहाय ने जरिये विक्रय पत्र 08.07.1963/9.07.1963 द्वारा ख.न. 393 रकबा 37 बीघा

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

15 बिस्वा में से 1/2 हिस्सा खरीदा था। जिसके अनुसार ख.न. 393 में उसका रकबा लगभग 19 बीघा रिकार्ड में दर्ज होना चाहिए। उक्त गंगासहाय के देहान्त के बाद उक्त भूमि उसके पुत्र हरसहाय, रामकिशोर, रामकिशन, बाबूलाल के नाम रिकार्ड में हिस्सा 1/4 के रूप में दर्ज हो गई एवं यह हिस्सा भी गलत था। इसके बाद उक्त हरसहाय, रामकिशोर, रामकिशन, बाबूलाल पि. गंगासहाय ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 10.11.1997 के द्वारा ख.न. 393 रकबा 37 बीघा 15 बिस्वा में से प्रभात्या पुत्र परत्या जाति माली निवासी ग्राम अगावली के हिस्सा 1/4 मे से 6 बीघा भूमि जरिये रजिस्टर्ड विलेख के 1,40,000/– रूपये में खरीदकर कब्जा प्राप्त किया था। इस प्रकार अपीलान्ट का हिस्सा 1/4 से बढकर हिस्सा 247/604 हो गया। यहां यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि अपीलान्ट के हिस्से में पूर्व का हिस्सा 1/2 व बाद में खरीदा गया 06 बीघा को मिलाकर कुल भूमि में हिस्सा 398/604 24 बीघा साढे 17 बिस्वा होना चाहिए थी। लेकिन राजस्व रिकार्ड में उक्त रकबा कम था। जिसके लिए अपीलान्ट्स ने एक वाद न्यायालय उप जिला कलक्टर सिकराय के यहा पेश किया जो दिनांक 11.07.2005 को डिक्री हो गया । डिक्री के आधार पर जो नामान्तरकरण खोला गया उस नामान्तरकरण में डिक्री के मुताबिक हिस्सा 1/2 तो रिकार्ड में दर्ज कर दिया गया लेकिन अपीलान्ट्स ने दिनांक 10.11.1997 को जो 06 बीघा भूमि रजिस्टर्ड विलेख से खरीदी थी एवं उसका जो नामान्तरकरण सं. 566 दिनांक 19.11.1997 को खोला गया था। उस हिस्से को उक्त नामान्तरकरण के द्वारा गायब कर दिया गया एवं रेस्पोडेन्ट सं. 3 लगा0 6 के रकबे को अनावश्यक रूप से उनके द्वारा रजिस्टर्ड विलेख से खरीदे गये हिस्से से भी अधिक बढाकर रिकार्ड में दर्ज कर दिया गया। जिसका प्रमाण नामान्तरकरण कोलम सं. 7 व 9 है। इस प्रकार अपीलान्ट्स की ओर से नामान्तरकरण सं. 790 दिनांक 08.09.2005 में जो रेस्पोडेन्ट सं. 03 लगा0 06 का रकबा गलत तरीके से बढाया गया है जिसके विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील अपीलान्ट्स पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट्स की गयी। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं. 3/1 लगा0 3/3 व 4 लगा0 6 को बहस हेतु अवसर दिये जाने उपरान्त भी उपस्थित नही हुए। अधिवक्ता अपीलान्ट्स की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट्स द्वारा अपील के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया गया की तहसीलदार सिकराय द्वारा नामान्तकरण के कोलम सं. 09 में अपीलान्ट्स का हिस्सा मात्र 1/2 व रेस्पोडेन्ट सं. 03 लगा0 06 का हिस्सा 1/4 मानकर जो इन्द्राज कोलम सं. 09 में किया गया है। वह विधि विरूद्ध एवं तथ्यो के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अपीलान्ट्स ने इसी ख.न. मे से 06 बीघा भूमि दिनांक 10.11.1997 को खरीदी गई थी। जिसका नामान्तरकरण सं. 566 दिनांक 15.11.1997 को खोला गया था। किन्तु नामान्तरकरण सं. 790 को खोलते समय तहसीलदार सिकराय ने अपीलान्ट्स के रकबे में 06 बीघा भूमि कम कर दी एवं 1/2 हिस्से के हिसाब से नामान्तरकरण खोल दिया गया। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण सं. 790 दिनांक 08.09.2005 के कोलम सं. 09 के इन्द्राज में दुरस्ती कर अपीलान्ट्स के रकबे में हिस्सा 1/2 के साथ–साथ नामान्तरकरण सं. 566 दिनांक 15.11.1997, विक्रय पत्र दिनांक 10.11.1997 के मुताबिक 06 बीघा की बढोतरी कर दर्ज किये जाने एवं रेस्पोडेन्ट सं. 03 लगा0 06 के रकबे को भी सही रूप से दुरस्ते किये जाने के आदेश फरमावे।

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

जवाब बहस में राजकीय अधिवक्ताा द्वारा निवेदन किया गया की प्रश्नगत नामान्तरकरण सं. 790 दिनांक 08.09.2005 को तस्दीक किया गया है जिसकी अपील वर्ष 2017 मे की गई है। उक्त अपील इतनी लम्बी अवधी के पश्चात पेश किये जाने के सम्बन्ध में उचित कारण प्रस्तुत नही किया गया है।

हमने अधिवक्ता अपीलान्ट्स एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अपील का मुख्य तथ्य यह है कि प्रश्नगत संयुक्त खातेदारी की भूमि में से अपीलांट्स द्वारा क्रय की गई 06 बीघा भूमि का इन्द्राज तहसीलदार द्वारा प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 790 दिनांक 8.6.2005 ग्राम अगावली तहसील सिकराय में नहीं किया जाने पर अपीलांट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है। अतः प्रकरण तहसीलदार सिकराय को रिमाण्ड किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रश्नगत नामांतरकरण सं0 790 दिनांक 08.09.2005 ग्राम अगावली तहसील सिकराय को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार सिकराय को इस आशय से रिमाण्ड किया जाता है कि प्रश्नगत नामांतरकरण से सम्बन्धित उभयपक्षकारान को सुनवाई का अवसर देते हुए प्रश्नगत संयुक्त खातेदारी की भूमि में से अपीलांट्स द्वारा क्रय की गई 06 बीघा भूमि के सम्बन्ध में अपेक्षित जांच कर विधिसम्मत कार्यवाही सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख वापिस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 13.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official